पत्र सं0- विधि-4(2)/ अधि0नियमा0संशोधन/ 2016-17 / 856 / 1718026 /वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक::अगस्त, 17, 2017

समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासनादेश सं0- क0नि0 1112/ ग्यारह-9(57) /17-उ0प्र0 अधि0- 5-2008- आदेश-(34)- 2017 दिनांक 10.08.2017 द्वारा संशोधन करते हुए उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनयम - 2008 की अनुसूची- IV की क्रम सं0- 4(a), 8(a) एवं 8(b) पर अंकित डीजल ऑयल व सी0एन0जी0 के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस एवं सी0एन0जी0 के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस से ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 के अन्तर्गत कराधेय माल के विनिर्माण करने वाली इकाईयों को कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा निर्धारित प्रपत्र के विरूद्ध बिक्री करने पर 5 प्रतिशत की दर से कर देय होने का प्राविधान किया गया है। इस विज्ञप्ति के प्राविधानों के अनुसार इस निमित्त फार्म-डी निर्धारित किया जाता है।

फार्म-डी के रख-रखाव एवं प्रयोग की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जायेगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये क्रमांक 0001 से प्रारंभ हो कर क्रमागत रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा।
4. मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय क्रेता व्यापारी द्वारा जारी किया जायेगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जायेगी।
8. उत्पादक व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में फार्म प्रिन्ट करवाएगा और उसे बुकलेट के रूप में रखेगा व एक बुकलेट न्यूनतम पचास फार्म की होगी।
9. फार्म-डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म-डी का विवरण संलग्न प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जायेगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को फार्म-डी की अगले बुकलेट्स पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फार्म-डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेगें तथा दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगायेंगें। व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करेंगें।
11. एक फार्म-डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इंद्राज किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 25 लाख होगी परन्तु विगत वर्ष 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार/भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रम/निगम/कंपनी के लिये उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।

12. फार्म-डी, फार्म-डी के प्रयोग के विवरण तथा प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रार्थना पत्र पर केवल वही व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगें जिनका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली- 2008 के नियम- 32(6), उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम/नियमावली-2017 की धारा- 116 एवं नियम- 26 में है।

उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी की गयी है। अतः फार्म-डी इन इकाईयों द्वारा दिनांक 01.07.2017 से किये गये सम्व्यवहार के लिये जारी किया जायेगा।

आपको निर्देश दिये जाते हैं कि फार्म-डी के प्रारूप व इसके रख-रखाव के बारे में समस्त अधिकारियों के साथ-साथ आपके जोन में कार्यरत समस्त व्यापारिक संघों, अधिवक्ता संघों, चार्टर्ड एकाउण्टेंट संघों आदि को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा इसकी प्रतियाँ इन वस्तुओं का उपयोग करने वाली समस्त औद्योगिक इकाईयों को भी उपलब्ध करा दें।

17/08/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
3. सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)।
4. अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0।
5. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
6. एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
7. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) / (वि0अनु0शा0/अपील/कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त डिप्टी कमि0 / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकरी (क0नि0/वि0अनु0शा0/स0द0) उ0प्र0।
9. अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।
10. महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
11. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
12. प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
13. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
14. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 ऑडिट ।।,सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
15. विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10नोयडा।
16. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,(सर्वोच्च न्यायालय, कार्य)गाजियाबाद
17. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी 0 कमि0 / असि0 कमि0 (उ0न्या0कार्य0)लखनऊ / इलाहाबाद।
18. मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियों में।
19. विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
20. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

[redacted]

21. अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293 मीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ।
22. अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।
23. श्री श्याम बिहारी मिश्र,उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टॉकीज के पीछे कानपुर।
24. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ।
25. श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
26. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
27. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।
28. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
29. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ।
30. आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
31. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ।
32. राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वा0 कमि0 (कार्य0)के माध्यम से।
33. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली।
34. शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर।
35. श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
36. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
37. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
38. डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
39. श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।
40. श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुंजगली,चौक,वाराणसी।
41. श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
42. श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।
43. श्री ब्रित चावला महासचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
44. आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद।
45. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
46. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर।
47. इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर।
48. संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ।
49. टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
50. श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
51. श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।
52. श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
53. श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
54. श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ।
55. श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास,दारुल शफा,लखनऊ।
56. श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
57. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,30 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।

58. अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
59. वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
60. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल मण्डल कैम्प कार्या0 इमलीवलानोटरा सादाबाद गेट, हाथरस।
61. सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
62. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)।
63. श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट , खोया मण्डी इलाहाबाद।
64. श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।
65. श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
66. श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद।
67. श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
68. श्री अमर नाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65 यहियागंज, लखनऊ।
69. श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोशिएटस, डी-194, सेक्टर-10, नोएडा, गौतमबुद्धनगर यू0पी0।
70. श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड।
71. श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट एसोसिऐशन, एफ-43, सेक्टर-11, नोएडा।
72. अध्यक्ष, राइस एक्सपोटर्स एसोसिएशन (उ0प्र0)।
73. अध्यक्ष, यू0पी0 मोटर ट्रान्सपोर्टस एसोसिएशन (रजि0), 133/296 ए, ट्रान्सपोर्टभवन, ट्रान्सपोर्टनगर, कानपुर।
74. शिव कुमार अरोड़ा अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसोसिएशन एस0एस0कालेज रोड़ जमुना बिहार खतौली मुजफ्फर नगर-251201
75. रमेश प्रसाद जायसवाल , महासचिव दी यू0पी0 टैक्स बार एसोसिएशन एस-5/45,अर्दली बाजार, वाराणसी यू0पी0-22100
76. श्री अशोक कुमार अग्रववाल, अध्यक्ष/ कोर्डिनेटर उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन,7,देवेन्द्र पुरी कालोनी बांस मंडी, लखनऊ।
77. श्री वीरेन्द्र नाथ गुप्ता, सचिव,एसोसिएटेट चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ यू0पी0 अलकनंदा इन्कलेव, लौलाई, इन्दिरा कैनाल रोड, सिकन्दरपुर खुर्द, निकट साई फार्म,चिनहट , लखनऊ-226028
78. श्री संजय कुमार सिंघानिया, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गोरखपुर।

17.08.1)

(डी0पी0 सिंह)
ज्वाइण्ट कमिश्नर(विधि), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर नाम व मुहर सहित

फार्म-डी

वणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[यूपीवैट अध्यादेश, 2007 की अनुसूची- IV के क्रमांक 4(a), 8(a)एवं 8(b) देखें]

करयोग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के लिये प्रमाण पत्र

(मूल प्रति-करनिर्धारण प्राधिकारी के लिये)

बुक संख्या.................................... क्रम संख्या....................................

1	क्रेता का नाम व पता		
2	जी0एस0टी0एन0/टिन		प्रभावी तिथि
3	करनिर्धारण वर्ष		
4	माह का अंतिम दिनांक		
5	विक्रेता का नाम व पता		
6	जी0एस0टी0एन0/टिन		प्रभावी तिथि

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप/मात्रा	सेल/टैक्स इनवॉइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

कुल योग शब्दों मे	
कुल योग अंकों में	

घोषणा

मै...पुत्र/पुत्री/पत्नी...प्रास्थिति...एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएँ मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है।

स्थान- हस्ताक्षर

तिथि- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता

मुहर-

नोट- फार्म के रख-रखाव/प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जायेगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये क्रमांक 0001 से प्रारंभ हो कर क्रमागत रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा।
4. मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय क्रेता व्यापारी द्वारा जारी किया जायेगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जायेगी।
8. उत्पादक व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में फार्म प्रिन्ट करवाएगा और उसे बुकलेट के रूप में रखेगा व एक बुकलेट न्यूनतम पचास फार्म की होगी।
9. फार्म-डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म-डी का विवरण संलग्न प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जायेगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को फार्म-डी की अगले बुकलेट्स पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फार्म-डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगें तथा दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगायेंगें। व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करेंगें।
11. एक फार्म-डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इंद्राज किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 25 लाख होगी परन्तु विगत वर्ष 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार/भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रम/निगम/कंपनी के लिये उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।
12. फार्म-डी, फार्म-डी के प्रयोग के विवरण तथा प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रार्थना पत्र पर केवल वही व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगें जिनका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली- 2008 के नियम- 32(6), उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम/नियमावली-2017 की धारा- 116 एवं नियम- 26 में है।

[redacted]

<u>पृष्ठ भाग</u>

सेल/टैक्स इनवॉइस के विरुद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र0सं0	सेल/टैक्स इनवॉइस संख्या	सेल/टैक्स इनवॉइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवॉइस की कुल धनराशि
			नाम	कोड	मात्रा/माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता

तिथि

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर नाम व मुहर सहित

फार्म-डी

वणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[यूपीवैट अध्यादेश, 2007 की अनुसूची- IV के क्रमांक 4(a), 8(a)एवं 8(b) देखें]

करयोग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के लिये प्रमाण पत्र

(द्वितीय प्रति-विक्रेता व्यापारी के लिये)

बुक संख्या.................................... क्रम संख्या....................................

1	क्रेता का नाम व पता			
2	जी0एस0टी0एन0/टिन		प्रभावी तिथि	
3	करनिर्धारण वर्ष			
4	माह का अंतिम दिनांक			
5	विक्रेता का नाम व पता			
6	जी0एस0टी0एन0/टिन		प्रभावी तिथि	

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप/मात्रा	सेल/टैक्स इनवॉइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

कुल योग शब्दों में	
कुल योग अंकों में	

घोषणा

मै..पुत्र/पुत्री/पत्नी..प्रास्थिति...................................एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएँ मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है।

स्थान-
तिथि-
मुहर-

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता

नोट- फार्म के रख-रखाव/प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जायेगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये क्रमांक 0001 से प्रारंभ हो कर क्रमागत रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा।
4. मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय क्रेता व्यापारी द्वारा जारी किया जायेगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जायेगी।
8. उत्पादक व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में फार्म प्रिन्ट करवाएगा और उसे बुकलेट के रूप में रखेगा व एक बुकलेट न्यूनतम पचास फार्म की होगी।
9. फार्म-डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म-डी का विवरण संलग्न प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जायेगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को फार्म-डी की अगले बुकलेट्स पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फार्म-डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेगें तथा दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगायेगें। व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करेंगें।
11. एक फार्म-डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इंद्राज किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 25 लाख होगी परन्तु विगत वर्ष 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार/भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रम/निगम/कंपनी के लिये उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।
12. फार्म-डी, फार्म-डी के प्रयोग के विवरण तथा प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रार्थना पत्र पर केवल वही व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगें जिनका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली- 2008 के नियम- 32(6), उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम/नियमावली-2017 की धारा- 116 एवं नियम- 26 में है।

[redacted]

पृष्ठ भाग

सेल/टैक्स इनवॉइस के विरुद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र0सं0	सेल/टैक्स इनवॉइस संख्या	सेल/टैक्स इनवॉइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का कर्योग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवॉइस की कुल धनराशि
			नाम	कोड	मात्रा/माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर नाम व मुहर सहित

फार्म-डी

वणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[यूपीवैट अध्यादेश, 2007 की अनुसूची- IV के क्रमांक 4(a), 8(a)एवं 8(b) देखें]

करयोग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के लिये प्रमाण पत्र

(प्रतिपर्ण-क्रेता व्यापारी के लिये)

बुक संख्या.................................... क्रम संख्या....................................

1	क्रेता का नाम व पता	
2	जी0एस0टी0एन0/टिन	प्रभावी तिथि
3	करनिर्धारण वर्ष	
4	माह का अंतिम दिनांक	
5	विक्रेता का नाम व पता	
6	जी0एस0टी0एन0/टिन	प्रभावी तिथि

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप/मात्रा	सेल/टैक्स इनवॉइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

कुल योग शब्दों में	
कुल योग अंकों में	

घोषणा

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी..प्रास्थिति....................................एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएँ मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है।

स्थान-

तिथि-

मुहर-

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता

नोट- फार्म के रख-रखाव/प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जायेगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये क्रमांक 0001 से प्रारंभ हो कर क्रमागत रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा।
4. मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय क्रेता व्यापारी द्वारा जारी किया जायेगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जायेगी।
8. उत्पादक व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में फार्म प्रिन्ट करवाएगा और उसे बुकलेट के रूप में रखेगा व एक बुकलेट न्यूनतम पचास फार्म की होगी।
9. फार्म-डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म-डी का विवरण संलग्न प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जायेगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को फार्म-डी की अगले बुकलेट्स पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फार्म-डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेगें तथा दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगायेंगें। व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करेंगें।
11. एक फार्म-डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इंद्राज किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 25 लाख होगी परन्तु विगत वर्ष 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार/भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रम/निगम/कंपनी के लिये उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।
12. फार्म-डी, फार्म-डी के प्रयोग के विवरण तथा प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रार्थना पत्र पर केवल वही व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगें जिनका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली- 2008 के नियम- 32(6), उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम/नियमावली-2017 की धारा- 116 एवं नियम- 26 में है।

<u>पृष्ठ भाग</u>

सेल/टैक्स इनवॉइस के विरुद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र0सं0	सेल/टैक्स इनवॉइस संख्या	सेल/टैक्स इनवॉइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवॉइस की कुल धनराशि
			नाम	कोड	मात्रा/माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता

तिथि

<u>प्रयोग किये</u> गये <u>फार्म-डी के विवरण का निर्धारित प्रारूप</u>

सेल/टैक्स इनवॉइस के विरुद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र0सं0	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	फार्म-डी की संख्या	जी0एस0टी0एन0/टिन	सेल/टैक्स इनवॉइस संख्या	सेल/टैक्स इनवॉइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवॉइस की कुल धनराशि
						नाम	कोड	मात्रा/माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि

[redacted]